बूंदी जिला न्यायालय ने याचिकाकर्ता बैंकों पर 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

- न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बैंकों द्वारा नियुक्त ऑर्बिटेटर द्वारा एक पक्ष को सुनने के बाद दिये गये अवॉर्ड को लागू कराने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया है
- अदालत के समक्ष इस मामले में 748 याचिकाएं अवॉर्ड को क्रियान्वित कराने के लिये प्रस्तुत की गई थी
- इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अवॉर्ड जारी करना चाहिये।

जयपुर, (का.सं.)। बैंकों और लोन लेने वाले व्यवसायिओं के बीच विवाद के बाद बैंकों द्वारा ही नियुक्त मध्यस्थ (ऑर्बिटेटर) के बैंकों द्वारा ही प्रस्तुत तथ्यों को सुनकर अवॉर्ड दिये जाने की प्रथा खिलाफ बूंदी जिला न्यायालय ने एक कड़ा आदेश पारित किया है। बूंदी जिला न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने बैंकों द्वारा नियुक्त एकमात्र (सोल) ऑर्बिटेटर द्वारा दिये गये अवॉर्ड को लागू कराने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आवेदन करने वाले बैंकों पर प्रति याचिका 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि बूंदी जिला अदालत के समक्ष 748 याचिकाएं अवॉर्ड को क्रियान्वित कराने के लिये प्रस्तुत की गई थी, यानी इस मामले में जुर्माने की कुल राशि एक करोड़ 87 लाख की है जिसे बैंकों को 30 दिन में चैक के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के नामजद अकाउंट में जमा कराना हैं। इस मामले में बैंकों की तरफ से करीब 17 अधिवक्ता अदालत में पेश हुए थे जबकि जिन व्यवसायिओं के खिलाफ अवॉर्ड दिये गये थे उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता पैरवी के लिये पेश नहीं हुआ क्योंकि उनके पक्ष को सुने बगैर ही ऑर्बिटेटर ने उनके खिलाफ अवॉर्ड जारी कर दिया था। इन व्यवसायिओं के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने की इस प्रथा के खिलाफ अदालत ने कठोर टिप्पणियां करते हुए जुर्माना लगाया।

दरअसल ज्यादातर बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान लोन देने के बाद विवादों से निपटने के लिये 'सोल ऑर्बिटेटर' (एकमात्र ऑर्बिटेटर) की नियुक्ति करते हैं। इस मध्यस्थता की सुनवाई की कार्यवाही उसी शहर में होती है जहां बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का मुख्यालय पंजीकृत होता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियां आम होती हैं जहां लोन लेने वाला व्यवसायी किसी अन्य शहर या प्रदेश में रहता हो और बैंक का मुख्यालय किसी अन्य शहर या प्रदेश में स्थित हो। ऐसे में कई बार देखा गया है कि ऑर्बिटेटर विवाद का जल्द निपटारा करने के लिये बैंक द्वारा तथ्यों को सुनकर एक पक्षीय कार्यवाही करती हैं। परंतु इन ऑर्बिटेटर द्वारा दिये गये अवॉर्ड को क्रियान्वित कराने के लिये बैंकों को लोन लेन वाले व्यवसायी के जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है।

सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा, की आर्बिटेटर को दोनो पक्षों की सहमति के बगैर नियुक्त किया जाये या आर्बिटेटर केवल एक ही पक्ष को सुनकर अवॉर्ड दे, दोनों को ही गैर कानूनी करार दे चुका है। परंतु बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में इसका अभी भी प्रचलन है क्योंकि बैंक लोन देते समय व्यवसायिओं से अपनी शर्त मनवा लेते हैं। इस प्रथा के खिलाफ हाल ही में जयपुर स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश रणधीर सिंह मिर्धा ने भी गलत ठहराया था और कहा था कि ऑर्बिटेटर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही अवॉर्ड जारी करना चाहिये।

अब बूंदी जिला न्यायालय ने न्यायाधीश रणधीश सिंह मिर्धा से मिसाल लेते हुए दूसरा ऐसा निर्णय दिया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ (बिल्लू बना), महासचिव योगेन्द्र शर्मा पंचौली, उपाध्यक्ष विमल सिंह तंवर, राहुल भारद्वाज, कोषाध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुर्जर, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मोनिका शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह राजावत, अनिता शर्मा, सिद्धार्थ उपाध्याय, नमोनारायण अवस्थी, शालिनी श्रीवास्तव एवं उमंग माथुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री को पौधा भेंट किया।

'तहसीलदार की रिपोर्ट के बावजूद 20 साल में भी क्यों नहीं हटाया कब्जा?'

- हाईकोर्ट ने अलवर यूआईटी सचिव को नोटिस जारी किया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर के यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि तहसीलदार की ओर से आम रास्ते पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट देने के बावजूद भी 20 साल में अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. अंबेडकर जन कल्याणकारी एवं विकास समिति, अलवर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राम अवतार ने अदालत को बताया कि अलवर के दाउदपुर से तलेडा जाने वाली साठ फीट चौड़ी रोड पर कई सालों से अतिक्रमण हो रखा है।

आम दिनों में राहगीर पास के खाली खेत का उपयोग कर चले जाते हैं, लेकिन फसल खड़ी होने के दौरान अतिक्रमण के चलते रास्ता केवल पांच फीट का ही रह जाता है। जिसके चलते बड़ा चौपहिया वाहन भी वहां से नहीं गुजर सकता। अतिक्रमण के चलते एम्बुलेंस सहित अन्य दूसरे वाहनों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। याचिका में बताया गया कि तत्कालीन तहसीलदार ने जांच कर यहां प्रभावशाली व्यक्ति के फार्म हाउस के कारण सड़क पर अतिक्रमण होना बताया था। तहसीलदार ने 16 मार्च, 2004 को यूआईटी को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा था। इसके बावजूद अब तक मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। स्थानीय निवासी अब तक कई बार स्थानीय प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत कर चुके हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार आंदोलन तक किया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यूआईटी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

'प्रत्याशियों को करवाना होगा विज्ञापनों का अधिप्रमाणन'

जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली।

जयपुर, (का.सं.)। 'भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की अनुपालना में प्रत्येक प्रत्याशी को अपने प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों का जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ से अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक है' यह कहना है जिला स्तरीय एमसीएमसी प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) सुरेश कुमार नवल का। नवल ने यह बात बुधवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही।

नवल ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्येक राजनैतिक दल के प्रत्याशियों एवं अन्य सभी प्रत्याशियों को चुनावी विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल्स, रेडियो एफएम चैनल्स, सिनेमाघरों में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, ऑडियो अथवा वीडियो संदेश सहित ई-पेपर में दिये जाने वाले विज्ञापनों का भी प्रकाशन एवं प्रसारण से पूर्व कमेटी द्वारा अधिप्रमाणन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रमुख राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर गठित एमसीएमसी कमेटी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित विज्ञापन अधिप्रमाणन नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए अधिप्रमाणन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विज्ञापन अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, प्रारूप एवं नियमों की विस्तृत जानकारी से रूबरू करवाया एवं अधिप्रमाणन ने संबंधित सवालों का भी निस्तारण किया।

खान विभाग में मॉनिटरिंग व्यवस्था होगी चाक चौबंद

जयपुर, (का.सं.)। राज्य के माइंस विभाग द्वारा एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, ऑक्शन के लिए ब्लॉक व प्लॉट तैयार करने, ऑक्शन कलेण्डर बनाने, आरसीसी, ईआरसीसी सहित राज्य सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन आदि का रोडमेप तैयार कर क्रियान्विति की दैनिक मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। खान सचिव आनन्दी ने आज निदेशक माइंस श्री भगवती प्रसाद कलाल के साथ खान व भूविज्ञान विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों से वर्चुअली रुबरु हुई।उन्होंने कहा कि एक अप्रेल से आंरभ वित्तीय वर्ष में सभी संबंधित क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित करते हुए क्रियान्विति के साथ ही वित वर्ष के पहले दिन से ही लक्ष्यों की क्रियान्विति की मोनेटरिंग व्यवस्था को चाक चोबंद किया गया है।

उन्होंने विभाग की विजिलेंस व्यवस्था को भी मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध खनन सहित किसी भी तरह के लीकेज को रोकना हमारा दायित्व है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। खान सचिव आनन्दी ने इस साल हम एक्सप्लोरेशन से लेकर, ड्रिलिंग, बड़े पैमाने पर ऑक्शन का काम हाथ में लेने जा रहे हैं जिससे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के अवैध खनन पर रोक लग सके, वैज्ञानिक व वैध खनन को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदेश को माइनिंग क्षेत्र सेअधिक से अधिक रेवेन्यू अर्जित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार को देय रेवेन्यू राशि संग्रहण की नियमित व्यवस्था हो ताकि साल के अंतिम दिनों में वसूली के लिए अधिक प्रयास नहीं करने पड़ै। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में रहने और आपसी सहयोगव समन्वय से कार्य करते हुए प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र को समूचे देख में अग्रणी बनानेका कार्य करना होगा। उन्होंने लक्ष्यानुसार अच्छा राजस्व अर्जन करने वाले कार्यालयों व अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों केबावजूद राजस्व संग्रहण के अच्छे प्रयास किए गए हैं। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। जहां पर आरसीसी, ईआरसीसीके ठेके अभी तक किसी कारण से नहीं हो पायें हैं वहां इस तरह की व्यवस्था करनी होगी जिससे सरकारी राजस्व की चोरी ना हो सके।

मोदी 5 अप्रैल को चुरू आएंगे

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अप्रैल को चुरू में विशाल "विजय शंखनाद सभा" को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि शुक्रवार को पीएम मोदी सुबह 9:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद हैलीकॉप्टर से चुरू के लिए रवाना होंगे और पुलिस लाइन मैदान में सुबह 10:10 बजे विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा के नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी सभा स्थल से सुबह 11:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।

राहटकर आज भीलवाड़ा दौरे पर

जयपुर। भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल की नामांकन सभा को संबोधित करेंगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने बताया कि भाजपा प्रदेश सह-प्रभारी विजया राहटकर कल सुबह 9:30 बजे भीलवाड़ा के आजाद चौक पर संबोधित करेंगी।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

जयपुर, (का.सं.)। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी मामले एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। यह समिति 15 दिवस ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी में रजिस्ट्रार राजस्थान मेडिकल कौंसिल, मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण के प्राधिकृत अधिकारी, वरिष्ठ विधि परामर्शी तथा शासन उप सचिव चिकित्सा शिक्षा को सदस्य एवं नोडल अधिकारी-एनओटीपी को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। यह समिति अंग प्रत्यारोण की फर्जी एनओसी प्रकरण, निर्धारित प्रावधानों के तहत मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों के संबंध में निदेशक जनस्वास्थ्य द्वारा गठित निरीक्षण दलों के माध्यम से प्राप्त सत्यापित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच करेगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय अधिप्रमाणन समिति की कार्य प्रणाली का परीक्षण कर लाइव ट्रांसप्लांट की मॉनिटरिंग के लिए एसओपी तैयार करने एवं एनओसी प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने स्व प्रसंज्ञान लेते हुए मानव अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी एवं निजी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण प्रकरण के संबंध में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर 15 दिवस में रिपोर्ट सौपने के निर्देश दिए थे।

कार में आग लगने से चालक जिंदा जला

जयपुर (कासं)। हरमाड़ा थाना इलाके में बुधवार को चलती कार में आग लग गई। आग में जिंदा जलने से चालक की मौत हो गई। आग की सूचना पर दमकल ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। आग का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार राजावास के पास बुधवार शाम 7 बजे एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही समय में पूरी कार को आगोश में ले लिया। इसके चलते कार चालक उसमें फंस गया और उसकी जिंदा जलने से मौत हो गई। सूचना पर विश्वकर्मा फायर स्टेशन से दमकल मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद जब कार को संभाला तो उसमें एक युवक का शव मिला। शव को बाहर निकालकर अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया।

अवैध हथियारों के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत रामनगरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित दो बदमाशों को पकड़ा है और उनके पास से दो देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपित आमजन में भय कारित करने के लिए हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करते है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित सुनील कुमार मीना निवासी कुडगांव जिला करौली और लव कुमार मीना उर्फ चीकू शीलपुरा निवासी शीलपुरा जिला करौली को थाना इलाके में स्थित वीआईटी कॉलेज रोड से गिरफ्तार किया है और उनके पास से दो देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा और 17 जिंदा कारतूस जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपित आदतन अपराधी है और जिनके खिलाफ करौली जिले में कई थानों में मामले दर्ज है। इसके अलावा आरोपित अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो-वीडियो वायरल कर आमजन में भय्य व्याप्त करते है।

रामनगरिया पुलिस ने बुधवार को अवैध हथियारों के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया।

अक्षय पात्र फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र में मनाया उत्सव

जयपुर, (का.सं.)। मानव कल्याण और समाज सेवा के क्षेत्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन पिछले 23 सालों से लगातार अहम् भूमिका निभा रहा है, अपने इसी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए यह फाउंडेशन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है।

इस संस्था का मकसद यह है कि देश में कोई भी गरीब बच्चा भूख की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, अपने इसी लक्ष्य की पूर्ति के सफ़र में अक्षय पात्र ने हाल ही में पूरी दुनिया में विशेष उपलब्धि हासिल की है।

यह ऐतिहासिक उपलब्धि है चार अरब थाली परोसने की जिसका उत्सव हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा में उपलब्धि: सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति का आयोजन किया। इस आयोजन में भारतीय सामाजिक संगठन अक्षय पात्र फाउंडेशन के अध्यक्ष मधु पंडित दास, इंफोसिस के संस्थापक सदस्य एनआर नारायणमूर्ति और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल हुए।

इस खास मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के लिए बधाई सन्देश भेजा।

चोर ने दी खुदकुशी करने की धमकी

जयपुर । "चोरी और ऊपर से सीना जोरी" वाली कहावत का ताजा उदाहरण विद्याधर नगर क्षेत्र में सामने आया है। थाने में एक युवक ने मामला दर्ज करवाया कि उसके यहां पर काम करने वाले युवक ने पहले उसके यहां पर चोरी की और फिर पकड़ा गया तो आरोपी ने उसे सुसाइड करने और सुसाइड नोट में उसका नाम लिखने की धमकी दी। आरोपी ने परिवादी को झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दी।

इस पर पीडित ने पुलिस की शरण ली। पुलिस के अनुसार विद्याधर नगर निवासी राजेश झाझडिया ने मामला दर्ज करवाया कि उसके यहां पर उदयपुरवाटी झुंझुनूं निवासी इंद्रजीत असवाल काम करता था।

Format C-7

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

(As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011)

Name of Political Party : BAHUJAN SAMAJ PARTY
Name of the Election : Lok Sabha General Election 2024
Name of State/UT : RAJASTHAN PHASE - 2
Name of the Constituency : **18- JALORE**
Name of the Candidate : **LAL SINGH**

Sl.No.			
1.	Criminal antecedents		
	a.	Nature of the offences	Section 332, 353 of IPC
	b.	Case No.	Case No. 04/2003
	c.	Name of the Court	Judicial Magistrate Jalore
	d.	Whether charges have been framed or not (Yes/No)	YES
	e.	Date of conviction, if any	22.09.2007
	f.	Details of punishment undergone, if any	Nil
	g.	Any other information required to be given	Benefit Of Section 3 of Probation Act Was Allowed
2.	The reasons for the selection of the candidate. Selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate, and not mere "winnability" at the polls (not more than 100 words)		In comparison to the other candidates and their history, it was found to be suitable being the candidate has stated that false FIR has been lodged against him
3.	Reasons as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates (not more than 100 words)		The offences are not grave one seems to be based on political vindicta. His image supported by the local office bearers of the party as clean and good.

--- sd ---
Signature of office bearer of the Political Party
Name and designation : Sridhar (National Treasurer)